राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 31 / 2022 अपील

उनवान

श्रीमती राधा पत्नी श्री सुवा लाल जाट जाति जाट आयु 53 वर्ष निवासी– लक्ष्मीपुरा तहसील एवं जिला भीलवाडा	बनाम	1. अनिल कुमार पुत्र श्री दत्तक पुत्र राधा जाट आयु वयस्क निवासी– देवली तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज0) 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
–अपीलार्थी		–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामांतरण संख्या 2062 निर्णय दिनांक 15.05.2022 तहसीलदार हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।

उपस्थित –

1. अधिवक्ता अपीलार्थी – श्री पृथ्वीराज चौधरी।
2. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 – श्री रामप्रसाद जाट।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से विभागीय प्रतिनिधी।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 10.02.2023

अपीलार्थी की ओर से जरिये अधिवक्त यह अपील प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि सरहद देवली पटवार हल्का देवली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज0) में आराजी नम्बर 1337, 1340, 1341, 49 कुल किता 04 रकबा 0.9900 हैक्टर एवं आराजी नम्बर 47, 63 कुल किता 02 रकबा 0.4553 हैक्टर भूमि स्थित है, जो कि अपीलार्थिया राधा पत्नी सुवा लाल जाट निवासी लक्ष्मीपुरा के नाम पर दर्ज है। अपीलार्थिया जो कि जीवित है। प्रत्यर्थी संख्या 01 जो कि राधा पत्नी श्री सुवा लाल जाट निवासी देवली का गोदपुत्र वारिस है, जिसने प्रत्यर्थी संख्या 02 से मिलीभगती कर अपीलार्थिया की खातेदारी भूमि का विरासत से नामान्तरकरण अपने नाम पर खुलवा लिया जो विधि विरूद्ध है। उक्त आराजियात अपीलार्थिया की स्वअर्जित होकर रजिस्टर्ड विकयपत्र के जरिये खरीदशुदा है। प्रत्यर्थी संख्या 01 जो कि राधा पत्नी श्री सुवा लाल जाट निवासी देवली का गोदपुत्र है व अपीलार्थिया राधा पत्नी सुवा लाल जाट निवासी– लक्ष्मीपुरा है, जो अलग–अलग गांव की अलग–अलग महिला है। केवल मात्र नाम व पति का नाम हुबहु मिल जाने से उक्त आराजियात जो कि अपीलार्थिया की होने के बावजूद भी अपीलार्थिया के जीवित होते हुए भी अपीलार्थिया की कृषि आराजी का नामान्तरणकरण प्रत्यर्थी संख्या 01 के नाम पर गलत तौर पर खोला गया है. जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। यह कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना जांच पड़ताल किये व अपीलार्थिया एवं प्रत्यर्थी संख्या 01 की गोदमाता का नाम व पति का नाम एक होने से वल्दीयात की जांच पड़ताल किये बिना मनमकसूद तरीके से उक्त भूमि को प्रत्यर्थी संख्या 01 के नाम पर दर्ज की है व उक्त नामान्तरणकरण फैसल किया है।

दिनांक 10.02.2023 को अपीलार्थिया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर उनके द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

मैने अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील, राजीनामा प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात यथा नामान्तरकरण एवं जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 ग्राम देवली, पटवार हल्का देवली, भू–अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र बरड़ोद तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, हमीरगढ़ द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 2062 निर्णय दिनांक 15.05.2022 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, हमीरगढ़ को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव–

आदेश

अपिलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश नामांतरकरण संख्या 2062 दिनांक 15.05.2022 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार, हमीरगढ़ को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रश्नगत आराजियात के संबंध में समस्त दस्तावेजात का विधिसम्मत परीक्षण कर न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक से दो माह में प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर अजसिरे निर्णय पारित करें। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, हमीरगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 10-02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा